न्यायालय उपखण्ड अधिकारी ,रानीवाडा, जिला–जालोर

पीठासीन अधिकारी श्री प्रकाश चन्द्र अग्रवाल, आर.ए.एस.

राजस्व अपील संख्या 02/2021

अपीलान्ट

1. शेरसिह पुत्र बाबुसिंह जाति रावणा राजपुत निवासी बडगांव तहसील रानीवाडा जिला – जालोर

बनाम

रेस्पोडेण्टस

1. हवादेवी पत्नी नारायणसिंह जाति रावणा राजपुत निवासी बडगांव हाल निवासी ओमकार हाउसिंग सोसायटी प्लॉट नबंर 119 रूम नबंर 21 सुविधा स्कुल रोड गोराई बोरीवली वेस्ट महाराष्ट
2. भुमिधारी तहसीलदार रानीवाडा
3. हल्का पटवारी रानीवाडा
4. सरपंच ग्राम पंचायत बडगांव

म्युटेशन अपील बनाराजगी म्युटेशन संख्या 1604 दिनांक 05.01.2017 ग्राम पंचायत बडगांव

उपस्थिति :–

1. अपीलान्ट अधिवक्ता श्री मोहनलाल विश्नोई।
2. रेस्पोडेण्टस संख्या 2 भूमिधारी तहसीलदार रानीवाडा।

–: निर्णय :–

दिनांक – 08.09.2022

1. अपीलाण्ट द्वारा रेस्पोडेण्टस के विरूद्व एक म्युटेशन संख्या 1604 दिनांक 05.01.2017 ग्राम पंचायत बड़गांव के संबंध में अपील प्रस्तुत की है जिनके संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि मौजा बडगांव में स्थित आराजी खसरा नबंर 594, 596, 597, 604/1968, 604/1969 जुमले रकबा 5.95 हैक्टर अपीलान्ट व अपीलान्ट के भाई स्वर्गीय नारायणसिंह का 1/3 हिस्से की खातेदारी मार्च 2017 तक की जमाबंदी में दर्ज थी। तत्पश्चात रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व रेस्पोडेन्ट संख्या 3 ने मिलावट कर अवैध तरीके से तत्कालीन हल्का पटवारी बडगांव द्वारा नामान्तरकरण खोल कर अपीलान्ट के हक की 1/3 हिस्से की आराजी रेस्पोन्डेट संख्या 1 के नाम नामान्तरकरण संख्या 1604 के जरिये दर्ज कर उपरोक्त नामान्तरकरण रेस्पोन्डेन्ट संख्या 4 द्वारा स्वीकृत किया गया जो नामान्तरकरण अवैध तरीके अपनाकर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 व 2 द्वारा दर्ज करवाया गया तथा गलत व अवैध त[illegible] रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 द्वारा स्वीकृत किया गया जो नामान्तरकरण [illegible] 1604 [illegible] खारिज योग्य है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.10.07 10:49:56 IST
Reason: SelfAttested

2. अपीलान्ट का भाई स्वर्गीय नारायणसिंह जो रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 का पति था, ने बदनियती पूर्वक अपीलान्ट को नाबालिंग बताकर उसका मुख्त्यारनामा आम के जरिये इसरार अहमद सिद्दिकी पुत्र मोहम्मद इसराय सिद्दीकी जाति मुसलमान निवासी प्लॉट नबंर 65 गेट नबंर 7 न्यु मलाड कॉलोनी वेस्ट मुम्बई को आम मुख्त्यायरनामा करवाया गया। तथा उक्त अवैध मुख्त्यारनामा के आधार पर अपीलान्ट के 1/3 हिस्से की भुमि का बैचान उक्त अवैध मुख्त्यारनामा के आधार पर हवादेवी को अवैध तरीके से बैचान किया गया जो बैचान दस्तावेज दिनांक 14.12.2011 को पंजीबद्व करवाया गया। उक्त हवादेवी अपीलान्ट के भाई स्वर्गीय नारायणसिंह की पत्नी है तथा उक्त अवैध बैचान दस्तावेज के आधार पर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा नामान्तरकरण हेतु आवेदन रेस्पोन्डेन्ट संख्या 2 तहसीलदार रानीवाडा के समक्ष दिनांक 07.05.2014 को पेश किया जिस पर प्रकरण संख्या 01/2014 दर्ज किया गया व हल्का पटवारी द्वारा जांच रिपोर्ट तलब की गई जिस पर पटवारी हल्का ने अपनी जांच रिपोर्ट में अपीलाधीन भूमि जमाबंदी खातेदार शेरसिंह नाबालिंग दर्ज नही होना बताया। शेरसिंह/अपीलान्ट का जन्म दिनांक 06.05.1989 को हुआ जिसके दस्तावेजात प्रमाण पत्र माध्यमिक शिक्षा बोर्ड राजस्थान अजमेर की नकल अपील के साथ संलग्न पेश है। तथा पंजीयन दिनांक 14.12.2011 को रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के हक में करवाया गया उस वक्त तक अपीलान्ट बालिंग था, जिस पर अपीलान्ट को भी तहसीलदार रानीवाडा द्वारा सुना गया और बाद जांच निर्णय दिनांक 20.8.2014 को अपीलान्ट का संरक्षक नारायणसिंह को नही होना माना गया तथा जमाबंदी शेरसिंह नाबालिंग दर्ज नही थी। राजस्व रेकर्ड में नाबालिंग शेरसिंह नाबालिंग होने का इन्द्राज नहीं है। ऐसी स्थिति में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 केवल मात्र स्वर्गीय नारायणसिंह जो उसका पति है के हिस्से तक की भुमि का नामान्तरकरण आदेश दिया गया शेष भूमि अपीलान्ट शेरसिंह के हिस्से का नामान्तरकरण दस्तावेज दिनांक 14.12.2011 के आधार पर नही खोलने का आदेश दिया गया तथा इस प्रकार तत्कालीन तहसीलदार रानीवाडा द्वारा अपीलान्ट के हिस्से की भूमि का दस्तावेज गलत तरीके से पंजीबद्व होने के आधार पर राजस्व रेकर्ड में अपीलान्ट का हिस्सा सुरक्षित रखा गया और अपीलान्ट के हिस्से तक की भूमि का नामान्तरकरण रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के हक में उस वक्त नहीं खोलने के आदेश तहसीलदार रानीवाडा द्वारा दिया गया तथा उक्त आदेश की प्रमाणित प्रति अपीलान्ट द्वारा रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 को दिनांक 10.9.2014 को दी गई जिसकी पावती भी अपीलान्ट द्वारा ली गई जिसकी नकल संलग्न अपील पेश है, जिसकी जानकारी रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 को थी तथा अपीलान्ट द्वारा बेचाननामा निरस्तीकरण का वाद श्रीमान अपर जिला न्यायालय भीनमाल में पेश किया हुआ है जो वाद संख्या 19/2014 पर दर्ज है। तथा वाद के साथ अस्थायी निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र पेश किया, जिसमें दोनो पक्षकारान की सहमति से वाद के अंतिम निस्तारण तक मौके व रेकर्ड की यथास्थिति के आदेश दिनांक 27.09.2014 को दिए गए। तथा अपीलान्ट का वाद विचाराधीन है। उपरोक्त के बावजुद भी नामान्तरकरण संख्या 1604 अवैध तरीके से खोला गया, जिससे व्यथित होकर अपीलान्ट की अपील निम्न आधारों पर पेश है।

3. मातहत अदालत सरपंच ग्राम पंचायत बड़गांव ने अपीलान्ट को कोई सुनवाई का अवसर नहीं दिया तथा अपीलान्ट को सुने [illegible] उपरोक्त नामान्तरकरण स्वीकृत कर कानुनी व वाकयाती भुल की है। उपरोक्त बै[illegible] दस्तावेज सन 2011 को पंजीबद्व

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.10.07 10:49:56 IST
Reason: SelfAttested

किया गया तथा तहसीलदार रानीवाडा द्वारा दिनांक 20.8.2014 को नामान्तरकरण बाबत आदेश दिया गया जिसको भी नजरअंदाज कर ग्राम पंचायत बडगांव द्वारा 5.1.2017 को नामान्तरकरण खोला गया जो नामान्तरकरण अवैध तरीके से होने से काबिल खारिज है। तथा अपीलान्ट का 1/6 हिस्से को भी उक्त नामान्तरकरण के जरिये रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के हिस्से में दर्ज किया गया जिस पर भी मातहत अदालत ग्राम पंचायत बडगांव ने कोई गौर नहीं कर उक्त नामान्तरकरण खोलने में कानुनी व वाकयाती भुल की है। उपरोक्त बैचान दस्तावेज दिनांक 14.12.2011 के संबंध में तहसीलदार रानीवाडा का निर्णय दिनांक 20.8.2014 की पालना जानबुझकर रेस्पोन्डेन्ट संख्या 3 द्वारा नहीं की जाकर न्यायालय श्रीमान तहसीलदार रानीवाडा के आदेश की अवहेलना कर उसे अनदेखा कर जानबुझकर भ्रष्ट तरीके अपनाकर उपरोक्त नामान्तरकरण हल्का पटवारी द्वारा दिनांक 5.1.2017 को खोला गया जबकि न्यायालय तहसीलदार रानीवाडा का आदेश अपीलान्ट शेरसिंह के हिस्से का नहीं खोलने का स्पष्ट आदेश और स्वर्गीय नारायणसिंह के हिस्से तक रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के हक में खोलने का आदेश था। ऐसी स्थिति में तत्कालीन हल्का पटवारी उपरोक्त विवादग्रस्त भुमि की जानकारी होते हुए भी रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 के नाम नामान्तरकरण खोला गया जो अवैध व शुन्य है जो निरस्त योग्य है।

यह है कि हल्का पटवारी को तहसीलदार रानीवाडा के आदेश हल्का पटवारी के कार्यालय में उपलब्ध होने के बावजुद भी उक्त नामान्तरकरण खोलने में कानुनी व वाकयाती भारी भुल की है। तथा उक्त भुमि के संबंध में बैचान दस्तावेज को लेकर श्रीमान अपर जिला न्यायालय भीनमाल में वाद विचाराधीन है तथा उक्त वाद में मौके व रेकर्ड की यथास्थिति के आदेश जारी है उसके बावजुद भी उक्त नामान्तरकरण खोलने में कानुनी व वाकयाती भारी भुल की है। उपरोक्त वादग्रस्त आराजी में 1/3 हिस्से में से 1/2 हिस्से पर अपीलान्ट का कब्जा है तथा रेस्पोडेन्ट संख्या 1 का भी कब्जा नहीं रहा है।

यह कि वादग्रस्त आराजी के राजस्व रेकर्ड में अपीलान्ट का नाबालिंग का इन्द्राज कभी नही रहा है तथा माता – पिता जीवित होने की स्थिति में भाई कभी भी संरक्षक नही हो सकता है ऐसा संरक्षक और प्रतिपाल्य अधिनियम 1890 में स्पष्ट प्रावधान है कि माता–पिता के जीवित होने की स्थिति में भाई या अन्य कोई प्राकृतिक संरक्षक नहीं हो सकता है।

4. यह कि उपरोक्त नामान्तरकरण अपीलान्ट की जानकारी के अभाव में चोरी छिपे खोला गया है जिसकी सर्वप्रथम जानकारी अपीलान्ट को दिनांक 19.10.2020 को हुई जब अपीलान्ट ने हल्का पटवारी से बैंक से ऋण प्राप्त करने हेतु जमाबंदी नकल प्राप्त की जिसमें अपीलान्ट का नाम खातेदारी में से बिना किसी कारण हटा दिया तत्पचात हल्का पटवारी ने जानकारी प्राप्त कर तहसीलदार कार्यालय रानीवाडा से नामान्तरकरण संख्या 1604 की प्रमाणित प्रति हेतु आवेदन दिनांक 20.10.2020 को पेश किया जो नामल 23.10.2020 को प्राप्त हुई तब उपरोक्त तथ्य की जानकारी हुई इससे पुर्व अपीलान्ट को उपरोक्त तथ्य की कोई जानकारी नहीं थी जिससे अपील अन्दर म्याद पेश है फिर भी अपीलान्ट द्वारा धारा 5 मर्यादा अधिनियम का प्रार्थना पत्र अलग से पेश किया जा रहा है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.10.07 10:49:56 IST
Reason: SelfAttested

अतः अपीलान्ट मय शपथ पत्र की अपील पेश कर श्रीमान से निवेदन है कि अपीलाधीन नामान्तरकरण संख्या 1604 ग्राम पंचायत बडगांव द्वारा स्वीकृत आदेश को निरस्त किया जावे तथा उपरोक्त नामान्तरकरण अपील स्वीकार की जाकर आराजी खसरा नबंर 594. 596, 597, 604/1968, 604/1969 जुमले रकबा 5.95 हैक्टर भुमि अपीलान्ट का पुर्व जमाबंदी के अनुसार 1/3 हिस्सा पर अपीलान्ट का नाम दर्ज करने का आदेश फरमावें तथा उक्त आदेश की पालना तहसीलदार रानीवाडा से करवाने के आदेश फरमावें।

5. अपीलाण्ट की म्याद के बिन्दु पर रेस्पोडेण्टस के उजर ऐतराज के अधिकार को सूरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेण्टस को समन जारी किये गए। रेस्पोडेण्टस संख्या 1 व 4 की ओर से बाद तामिल समन कोई उपस्थित नहीं होने से इनके विरूद्व एकपक्षीय कार्यवाही की गई।
6. सर्वप्रथम दिनांक 09.06.2022 को अपीलाण्ट द्वारा प्रस्तुत धारा 5 लिमिटेशन एक्ट का प्रार्थना पत्र बाद सुनवाई न्यायहित में स्वीकार किया जाकर अपीलाण्ट द्वारा अपील पेश करने में हुए विलम्ब को क्षम्य किया गया है।
7. अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता व रेस्पोडेण्टस संख्या 3 व 4 की ओर से राजपेरोकार की बहस सुनी गई।
8. हमने पत्रावली का भली–भांती अवलोकन किया गया। अपीलाण्ट के विद्वान अधिवक्ता व राजपेरोकार के बहस तथ्यों का मनन किया गया। अपीलाण्ट ने रेस्पोडेण्टस संख्या 1 के विरूद्व नामान्तरकरण संख्या 1604 ग्राम पंचायत बडगांव द्वारा पारीत के विरूद्व अपील इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है। वादी के माता–पिता जीवित रहते हुए अपीलाण्ट को नाबालिक दर्शाते हुए व आम मुख्त्यारनामा के आधार पर दिनांक 14.12. 2011 को शेरसिंह के हिस्से की आराजी का बैचान इनके पिठ पिछे रेस्पोडेण्टस संख्या 1 के पक्ष में करवा दिया गया। उक्त बैचान दस्तावेज के आधार पर राजस्व रेकर्ड में इन्द्राज हेतु तहसीलदार रानीवाडा को बैचान दस्तावेज की प्रति पेश कर रेकर्ड में अमलदरामद का निवेदन किया। जिस पर तहसीलदार रानीवाडा द्वारा दोनों पक्षों को सुनकर दिनांक 20.08.2014 को निर्णय पारित किया गया, जिसके अनुसार नामान्तरकरण नहीं भरने का आदेश पारीत किया गया है। उक्त आदेश के बावजूद भी रेस्पोडेण्टस संख्या 1 द्वारा अपीलाण्ट के पिठ पिछे अपने हक में नामान्तरकरण संख्या 1604 पटवारी हल्का से भरवाकर सरपंच ग्राम पंचायत बड़गांव से स्वीकृत करवा दिया गया है जो अवैध प्रक्रिया से एवं तहसीलदार रानीवाडा के आदेश के विरूद्व भरा गया है। शेरसिंह उक्त बैचान के दौरान बालिग होते हुए भी उनको नाबालिक मानते हुए नारायणसिंह द्वारा आम मुख्त्यारनामा में अहमद सिद्दिकी पुत्र मोहम्मद इसराय सिद्दिकी जाति मुसलमान को अधिकृत किया गया। जिनके द्वारा उक्त बैचान रेस्पोडेण्टस संख्या 1 हवादेवी पत्नि नारायणसिंह के नाम बैचान किया गया। नारायणसिंह स्वयं मौजूद होते हुए मुख्त्यारनामा के द्वारा बैचान करवाया गया। शेरसिंह नाबालिक होता तो भी उनका संरक्षक नारायणसिंह नहीं हो सकता है, क्योकि उनके माता–पिता जीवित होने से यह अवैधानिक तरीके से कार्यवाही की गई है। नारायणसिंह व शेरसिंह दोनो सगे भाई है। इसलिये दोनों को हिस्सा बराबर–[illegible]ता है। इसकों जानकारी नही होने देने व इनके हक की भूमि [illegible] को कूट– [illegible] दस्तावेज के आधार पर बैचान करवाकर नामान्तरकरण संख्या 1604 हवादेवी के पक्ष में खोला गया है , जो विधि

Signature Not Verified
Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.10.07 10:49:56 IST
Reason: SelfAttested

विरूद्ध है। अपीलाण्ट ने उक्त बैचान दस्तावेज को निरस्त कराने हेतु न्यायालय सिविल न्यायाधीश एंव अति मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भीनमाल मे ंवाद किया गया है। जिसमें भी दिनांक 27.09.2014 को स्थगन आदेश मौके व राजस्व रेकर्ड की यथास्थिति बनाए रखने का आदेश पारीत है। जिसको भी नजरअंदाज करते हुए रेस्पोडेण्टस संख्या 1 के पक्ष में आम मुख्त्यारनामा के आधार पर हवादेवी द्वारा खरीद कर भूमि अपना नाम नामान्तरकरण संख्या 1604 से राजस्व रेकर्ड मे ंदर्ज करवा दिया गया। जो पूर्ण रूप से विधि विरूद्व व अवैधानिक कार्यवाही है। प्राकृतिक न्याय सिद्वांत के तहत अपीलाण्ट को नामान्तरकरण भरते समय सुनवाई का कोई अवसर नही दिया गया जो प्राकृतिक न्याय सिद्वांत के नियमों के तहत भी अवैधानिक की परिभाषा में आता है। ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत बड़गांव द्वारा म्यूटेशन संख्या 1604 पारित आदेश दिनांक 05.01.2017 को अपास्त किया जाना न्यायसंगत प्रतित होता है। अतः उक्त विवेचन के आधार पर अपीलाण्टस की अपील आंशिक स्वीकार योग्य है।

—: आदेश :—

9. अतः उपयुक्त विवेचन एवं विश्लेषण के आधार पर अपीलाण्टस की अपील आंशिक स्वीकार की जाती है। तथा ग्राम पंचायत बड़गांव द्वारा नामान्तरणकरण संख्या 1604 में पारित आदेश दिनांक 05.01.2017 को निरस्त किया जाता है। तथा उक्त ना0 संख्या 1604 को तहसीलदार रानीवाडा को प्रतिप्रेषित किया जाता है तथा निर्देश दिये जाते है कि आप दोनों पक्षों की सुनवाई कर नामान्तकरण खोलने की विधिक प्रक्रिया अनुसार कार्यवाही करें। उक्त निर्णय न्यायालय सिविल न्यायाधीश एंव अति मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट भीनमाल में विचाराधीन वाद के अंतिम निर्णय के अधीन रहेगा। निर्णय की प्रति पालना हेतु तहसीलदार रानीवाडा को भेजी जावें।

पक्षकारान् अपना—अपना खर्चा वहन करें।

(प्रकाशचन्द अग्रवाल)
उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा

निर्णय आज दिनांक 08.09.2022 को मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाया गया।

उपखण्ड अधिकारी
रानीवाडा

Signature Not Verified

Digitally signed by Prakash Chandra Agarwal
Date: 2022.10.07 10:49:56 IST
Reason: SelfAttested